राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3346/2024

विशाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.11.2024

आदेश की दिनांक : 20.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में लैब टेक्निशियन के पद पर पीएचसी 8, एसकेएम, गरसाना, जिला अनूपगढ में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 11.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी का उक्त पद पर चयन हुआ था और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मेरिट के आधार पर दिनांक 21.06.2024 को विकल्प पत्र मांगे गये और अपीलार्थी को विकल्प पत्र में अपना पदस्थापन स्थान जिला अलवर भरा था, परंतु

मेरिट के आधार पर अपीलार्थी को जिले का आवंटन/पदस्थापन नहीं किया गया। जबकि श्री मनोज कुमार जिनकी मेरिट संख्या 767 है। उसे जिला अलवर में पदस्थापन किया गया है और अपीलार्थी ने विकल्प पत्र में जिला अनूपगढ 17वें नम्बर पर भरा था, फिर भी अपीलार्थी को अनूपगढ जिले में पदस्थापन किया गया है, जो मांगे गये विकल्प पत्र के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.07.2024 में अपीलार्थी के जिला अनूपगढ में पदस्थापन को अपास्त फरमाया जावे और मेरिट के आधार पर उसे जिला अलवर में पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन लैब टेक्निशियन के पद पर पीएचसी 8, एसकेएम, गरसाना, जिला अनूपगढ में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य